



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112021-231022
CG-DL-E-11112021-231022

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 637]
No. 637]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 9, 2021/कार्तिक 18, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 9, 2021/KARTIKA 18, 1943

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2021

सा.का.नि. 786 (अ).—केंद्रीय सरकार, भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) की धारा 50 की उप-धारा (2) के खण्ड (क), (ख) और (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम 2017 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम 2021 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. तीसरी अनुसूची में भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, पैरा में, सारणी के बाद शब्दों और अंकों के लिए "फीस 5000 रुपये होगा" के स्थान पर "स्वयं सहायता समूह के लिए फीस पांच सौ रुपये होगा" रखा जाएगा।

3. उक्त नियमों में, सातवी अनुसूची में, पैरा में, सारणी के पश्चात “सरकारी साख समिति” शब्दों के बाद या “स्वयं सहायता समूह” अंतःस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. टीएफसी-04-2016]

नंदिता गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का. नि. 165(अ) तारीख 23 फरवरी, 2017 द्वारा प्रकाशित हुए और तदुपरांत सा.का. नि. 1040(अ) तारीख 22 अगस्त, 2017, सा.का. नि. 251(अ) तारीख 20 मार्च, 2018 और सा.का. नि. 782(अ) तारीख 22 दिसम्बर, 2020 के तहत संशोधित किए गए थे।

**MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION
(Department of Food and Public Distribution)**

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2021

G.S.R. 786(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (a), (b) and (c) of sub-section (2) of section 50 of the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 (37 of 2007), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules, 2017, (herein after referred to as the said rules) in the Third Schedule, in the paragraph, occurring after the table, for the words and figure “the fee shall be Rs. 5,000/-” the words “or a Self Help Group, the fees shall be rupees five hundred” shall be substituted.

3. In the said rules, in the Seventh Schedule, in the paragraph, occurring after the table, after the words “Cooperative Credit Society”, the word “or Self Help Group” shall be inserted.

[F. No.TFC-04-2016]

NANDITA GUPTA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 165(E), dated the 23rd February, 2017 and subsequently amended vide G.S.R. 1040(E), dated the 22nd August, 2017, G.S.R. 251(E), dated the 20th March, 2018 and G.S.R. 782(E), dated the 22nd December, 2020.